

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राथिपदिक परिषद सम्बन्धी/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

: कार्यालय ज्ञापः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इपिड्यो, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से सचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1124-SETH JAIPRAKASH MUKUNDLAL MAHILA POLYTECHNIC

क्र०स०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आ०आ०स०टी०इ०/ पी०स०आ०आ० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	FASHION DESIGNING & GARMENT TECHNOLOGY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आ०आ०स०टी०इ०/ पी०स०आ०आ० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और उन्हें सार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का सुनिधारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरे लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आ०आ०स०टी०इ०/ पी०स०आ०आ० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध, यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं की संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने

के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पश्चात्तीधि प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाधकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था की शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेंगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम की चलायी जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरीक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Raman
(एफ०आर० खान)

सचिव

पृष्ठा०- प्राप्ति परिषद सम्बन्धी/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SETH JAIPRAKASH MUKUNDLAL MAHILA POLYTECHNIC

Raman
(एफ०आर० खान)

सचिव

२०१८ वर्षात् लाप्त

अधिक आरायी तत्वोंकी विद्या परिषद्, मई विनाशकारी काउन्सिल और इनिंग, नई विनी द्वारा गैरिक सभ 2021-22 हेतु डिप्लोमा लाइसेंस तत्वोंकी विद्या संस्थाओं को अनुमतिमान प्रशासन विभाग जाने के उपरान्त प्रविधिक विद्या परिषद् 3020 लाइसेंस के सम्बन्धित अनुबंधित प्रशासन विभाग किए जाने हेतु विनांक 3-3-2023 को परिषद् वाचीकरण में सम्बन्धित समीक्षा की गईका सफल रहा। यहका ने सनिक्षि द्वारा सभ 2021-22 हेतु अधिकारी नई संस्थाओं को सम्बन्धित पूर्ण रूप से सांवित्र संस्थाओं को अनुबंधित विद्यारथ/यात्रुकाम प्रवेश क्षमता पूर्णपूर्ण जारीकरने के अन्य नई पर विधार करते हुए सभ 2021-22 हेतु सम्बन्धित/ सम्बद्धता विद्यारथ प्रशासन किए जाने का विनीव दिया गया।

उक्त के अनुज्ञान में सम्बद्धता निमिति को दैरण में लिये गये निर्धार्य के अनुज्ञान में सिवाय इसका को प्राक्षिपिक शिविर चरिटी 30-31 जून तक दूराए ताह 2021-22 ऐनु मिस्नालिस्ट भवी के अधीन पाठ्यक्रम वाई उक्तमें आजित पश्चा शामल होत वास्तविक प्रवास की जाती है।

प्राप्ति ID	संकेत संख्या	संस्था का नाम	विवरण 2021-22 के एवं प्राप्तिगतीयोग्यता इस अनुसेदित मालांकम् एवं प्रवेश क्रमांक	परिषद द्वारा अनुसेदित प्रवेश क्रमांक
01	1124	एड जनकलाला चूक्कम निः सहिता चालीसाठी, लक्ष्मीनाराय	प्राईवेट स्कॉलरशिप एवं सोसाइटिका ट्रिफ्ट-30 विभाग विवाहांकम् एवं प्रवासी ट्राई-60	30 60

संग्रहालय द्वारा

- ✓ संस्था एजन्सीपीपटीडू०/गोपनीयाई० द्वारा मिशनरिय की गयी गमी रही का पूछता जल्म भवेती।
 - ✓ संस्था उत्तर ब्रिटेन प्राधिकिय किया भविष्य एवं 1982-तथा प्राधिकिय किया भविष्य विनियनकाली 1992, नेशनल विनियनकाली-2016 तथा उन्हे लिखित नियन्त्रण एवं आदेश का अनुभावन भवेती तथा शुल्क निधीरप्त भविते द्वारा लिखित शुल्क दीन क्वेप हुए० परन्तु इन्हे ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों कर्मसी फ़लवक्तुल हुए ₹० 45000.00/- प्रतिवर्ष द्वारा एक तथा दो वर्षों फ़लवक्तुल होते (दो वर्षों कर्मसी फ़लवक्तुल के अतिरिक्त) हेतु ₹० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क है भवेत्स आवश्यकता से जाप्त किया जायेगा। उद्देश्य के अतिरिक्त आवश्यकता के शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर आगान द्वारा निर्णय किये जाने वाले भास्तव्यादेश प्रकार के होते, और उद्देश्य का विषय जाना अवश्यक होगा। ऐसे मिशनरप्त भविते द्वारा भवि तथा 2021-22 हेतु भी वह पुनर्विभाग किया जाना है, तो भी वही वी नवीनतम दो वर्षों होती।
 - ✓ संस्था के (2020 प्राधिकिय किया गमितिवाला तथा उप समितियों, संस्थाओं वो सम्बद्ध विषय जल्म) विनियनकाली-2000 की रही का अनुभावन कामा होगा।
 - ✓ संस्था में समुक्त चौरा वरीष्य भविष्य द्वारा आविष्ट रहाए वहे हि प्रतिवर्ष दिया जायेगा। यहाँ के विषय रु जमी वी विधिये जे उत्तर ब्रिटेन भवेत्स में निटोग्नुगर हि प्रतेष की लार्वियाहो वहे जायेती।
 - ✓ संस्था को भविष्य-समय वार भिन्न शासनदेश के अनुसार लिखित एवं सम्बद्धतय शुल्क जना करना होगा।
 - ✓ संस्था को एजन्सीपीपटीडू०/वेणीयाई० ही आगामी ता हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जल्म आवश्यक होगा।

मरणों उत्तर प्रदेश शासन द्वारा घोषित गये लिपिग्रन्थों/अधिनियमों/शासनादेशोंहेतु एवं सम्बन्धीय प्राधिकारिक शिक्षा, उपचार, संबंधित प्रौद्योगिक परिषद, उपचार संघ प्राधिकारिक शिक्षा परिषद, उपचार संघार्थी नियमों, नियमों, आदेशों, नियमों का पालन करने के लिये साधन होगी।

- ✓ डिस्ट्रीक्शन इन परमीसी पाठ्यक्रम की संस्कारण और योग्यांश जैसे विभिन्न से अनुग्रहन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तराधिकार संस्था का होगा और विभिन्न रूप से जिती और जारीकर्ता के लिए संस्था सभव उत्तराधिकारी होगी। प्राधिकारिक शिक्षा परिषद, संबंधित प्रौद्योगिक परिषद, प्राधिकारिक शिक्षा नियमालाय एवं प्राधिकारिक शिक्षा नियमाला इतर प्रदेश शासन को कोई चाहे उच्चर विषय जाल है तथा दायरा छाट के संबंध में ना, ज्ञानावधि द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संवधारी आदेश नियंत्रित किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संवधारी को कहाँ होगी।
- ✓ डिस्ट्रीक्शन इन परमीसी पाठ्यक्रम संबंधित करने वाली संस्थाओं को संबुद्ध प्रवेश पर्याप्त परिषद, उत्तर प्रदेश समाजक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व फैट्सोफार्मिंग से अनुग्रहन प्राप्त कर परिषद संबंधित जौ उपलब्ध कराया होना अन्यथा उन्हें प्रवेश के (काउन्सिलिंग के माध्यम से अधिक संस्था स्वर पर जीते प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु नियंत्रित ज्ञानावधि आकार मियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को आपने बैलाकृष्ण पर जनस्था की समस्त शृंखलाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, रूपरूप, साज-बाज़ा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला दृग्ं, छानागांव शूल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वारावला उपलब्ध कराने के साथ रैनिंग रोडों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो भी कि संस्था में प्रस्तावित मंधानित पाठ्यक्रम वही यात्राये जाने हेतु नियंत्रित रामिती के समय उपलब्ध कराये गये अभियोग, भूमि-जाग, कर्नीधर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में दर्शाया जाता है और परिषद वही कुसरी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी उन्नत वाये के लिए कर रही है तो ताकाल संस्था भी सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरोद्धा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय नियंत्रण द्वारा यदि संस्था में भूमि, ब्रह्म, ध्रुवोग्रासा, उपकरण एवं अन्य साज-बाज़ा एंडआर्ट्सोटीक्टिकोंपोर्टल्साहित्यपरिषद के मालाकालुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता किना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता वाले वह अनुपालन जैसे जाने अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति ने नियमालुसार अनुशासनविभाग को जारीकर्ता की जायगी।

(सुनील कुमार सोनकर)
संचित।

नू०००-प्राधिकारिक सन्दर्भ/2021/ ५६९३

तिथिनंक: १२-९-२०२१

नियंत्रित-नियमाला-नियंत्रक, उत्तर प्रदेश मुकुन्द वाल मिया प्राधिकारिक, मानियावाय।


(सुनील कुमार सोनकर)
संचित।

मात्रिक वर्णन का अध्ययन
करने वाली एक विद्या।

संस्कृत-प्राचीन/प्राचीन, अनुवाद/2009/102

开始对家“我心事”——“我”

二零一九年三月

लोकों के लिए यह एक बड़ा अद्भुत विनाश है।

दिनांक १५-०८-२०१८। अपनी गार्हणा करने की विषय के लिए यह वार्ता विषय है। अपनी गार्हणा की विषय के लिए यह वार्ता विषय है। अपनी गार्हणा की विषय के लिए यह वार्ता विषय है।

卷之三

卷之三十一

ପ୍ରଦୀପ- କାମିନ୍ /ଅଧିକାରୀ ପାତ୍ରାଳୀ / ୨୩୯ / ୨୫୨-୩୬୩

मात्रिकोश १५-०३-२०१९

40行代入到式(1)中，得到在给定的参数下， α 的取值范围。

第二部分